न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2018

निगरानी-3725/2018/भिण्ड/भू.रा.

विनोद कुमार बघेल पुत्र श्री कमलेश बघेल, निवासी–ग्राम कन्हारी, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.) ----निगरानीकर्ता

बनाम

1 मायादेवी आयु 38 वर्ष, वेवा बलवीर सिंह भदोरिया, जाति ठाकुर, निवासी–ग्राम पचेरा, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.)

2 शेरू उर्फ सुलभ आयु 13 वर्ष,

3 बबूल उर्फ लवकुश आयु 10 वर्ष, पुत्रगण बलवीर सिंह भदौरिया ----गैर निगरानीकर्ता

श्री ...... द्वारा ...... 19-6-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 28-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

माननीय महोदय,

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत माननीय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना (म.प्र.) के प्रकरण 534/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 06/03/2018 के आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि–

1 यह कि, कृषि भूमि सर्वे कमांक 444 रकवा 0.30 हेक्टेयर अपीलांट के संयुक्त भूमि स्वामी स्वत्व की पुश्तैनी भूमि है। इस भूमि को अपीलांट कमांक 1 के देवर अरविंद व सत्यवीर ने बिना बंटवारे कराये दिनांक 13 जून 2014 को रेस्पोडेंट विनोद कुमार के हक में विकय कर दी। जिसकी जानकारी होने पर विवाद की स्थिति निर्मित हुयी।

2. यह कि, रेस्पोडेंट विनोद कुमार ने विकय पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय तहसील मेहगांव के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 2/2016–17/अ–6 पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 29/07/2017 से अपीलांट के हक में विकय कर दी।

devendra/d/

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3724/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/7/18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह कुशवाह द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 06.03.2018 के विरुद्ध दिनांक 19.06.2018 को विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में जो तर्क दिए गए हैं, वे मान्य योग्य नही हैं। संहिता की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	